

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी ::: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 137 / 2017
सरकार बनाम मनीष पुत्र मदनलाल, जाति- कुम्हार,
निवासी- काजड़ा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 11.09.2017


निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका भाई मनोज कुमार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मनीष पुत्र मदनलाल, जाति-कुम्हार, निवासी- काजड़ा द्वारा रोही मौजा काजड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 255 के कुल रकबा 0.21 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.01 है० भूमि पर फसल ग्वारपाठा काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके भाई मनोज कुमार ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया गया जिसमें रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना बताया है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं... 20 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये... 51 कायम किया
राजस्व लेखाकार


(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़